रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-364/2026/1812/22-2-2024-17(642)/2025

लखनऊ: दिनांक: 06 अप्रैल, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, उन्नाव में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राजेश (बन्दी सं0-59/2023) पुत्र श्री कल्लू, निवासी बनौनी, थाना-आसीवन, जनपद-उन्नाव का निवासी है, जिन्हें बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-2283/1998 में भा0द0वि0 की धारा-365 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव द्वारा दिनांक 27.05.1999 द्वारा 05 वर्ष का कारावास से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा निर्णीत करते हुए दिनांक 23.02.2018 द्वारा 05 वर्ष के कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 12.06.2024 तक अपरिहार 02 वर्ष 04 माह 17 दिन तथा 02 वर्ष 08 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है, अच्छा जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-364/2026/1812(1)/22-2-2024 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।

3- पुलिस अधीक्षक उन्नाव।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, उन्नाव।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in